छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / 9935 / छगवेका / स्था0(P-01/2021) / 2023–24 / नवा रायपुर, दिनांक– 12/09/23

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

–:: आदेश ::–

श्रीमती स्वालेहा खान, को निगम में शर्तो के अधीन, आदेश क्रमांक 7257 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा तृतीय श्रेणी के कनिष्ठ सहायक पद पर, तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई एवं आदेश दिनांक 14.12.2021 के द्वारा मुख्यालय नवा रायपुर (स्थापना अनुभाग) में पदस्थी की गई।

प्रथम उपस्थिति दिनांक 14.12.2021 से मात्र 34 दिवस कार्य पर उपस्थित रही तथा 318 दिवस विभिन्न अवकाश का उपभोग किया गया। अवकाश उपभोग के पश्चात् दिनांक 01.12.2022 को उन्हें अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना था, किन्तु बिना किसी आवेदन / सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्य से लगातार अनुपस्थित रही।

निगम मुख्यालय द्वारा कार्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक 14.12.2022, 20.01.2023, 12.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया एवं दिनांक 07.06.2023 को समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कराया गया, किन्तु श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 कार्य पर उपस्थित नहीं हुई।

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 7788 नवा रायपुर दिनांक 24.07.2023 के द्वारा निगम की सेवा से पृथक किये जाने हेतु 01 माह पूर्व नोटिस जारी किया गया तथा श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर (स्पीड पोस्ट) डाक द्वारा प्रेषित किया गया। पुनः नवीन पते पर (स्पीड पोस्ट) डाक द्वारा एवं ई–मेल के माध्यम से उक्त पत्र दिनांक 01.08.2023 को प्रेषित किया गया। किन्तु श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुई।

श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 के अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 17.06.2021 की शर्त क्रमांक 06 में उल्लेखित है, कि ''यह सेवायें छ0ग0 सिविल सेवाए (आचरण) नियम 1965 से शासित होगीं'' एवं शर्त क्रमांक 07 में उल्लेखित है, कि **''यह सेवायें निगम द्वारा कभी भी 01 माह की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।''**

छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के परिपत्र दिनांक 10.02.2015 के तहत 01 माह या उससे अधिक अवधि के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर, ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को सेवा–व्यवधान माना जावेगा।

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन स्टॉफ रेग्यूलेशन 1962 के चेप्टर IV की धारा 21(5) में स्पष्ट प्रावधान है, कि ''An employee shall not absent himself from his duty or from the station of his posting without obtaining prior permission of Managing Director''

क्रमशः.......................2

श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 के द्वारा, लंबी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तो, छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं निगम के स्टॉफ रेग्यूलेशन 1962 के चेप्टर IV की धारा 21(5) का उल्लघंन किया है।

अतः छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन स्टॉफ रेग्यूलेशन 1962 की चेप्टर IV की धारा 22(2)(ii) में प्रदत्त शक्ति के तहत, श्रीमती स्वालेहा खान, कनि0सहा0 (तृतीय श्रेणी) को धारा 21(5) के उल्लघंन करने के कारण धारा 22(1)(f) के तहत निगम की सेवा से **पृथक (Removal from Service)** किया जाता है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

प्रबंध संचालक

12/9/2023

क्रमांक / 9935 / छगवेका / स्था0(P-01/2021) / 2023-24 / नवा रायपुर, दिनांक- 12/9/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित्।

01. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर (छ0ग0)।
02. निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर (छ0ग0)।
03. प्रबंधक (कार्मिक / वाणिज्य / वै0भ0गु0नि0 / लेखा) / कार्यपालन अभियंता) छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर (छ0ग0)।
04. नोडल अधिकारी (आई0टी0) छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर (छ0ग0) को निर्देशित है, कि निगम की बेवसाईट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
05. वेतन पत्रक / भविष्य निधि / ग्रेज्युटी शाखा, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय नवा रायपुर (छ0ग0)।
06. श्रीमती स्वालेहा खान, C/o मो0 रिजवान खान, बी-112, पानी टंकी के पास, एम0पी0एच0बी0, कोटा कालोनी, रायपुर (छ0ग0)

प्रबंध संचालक

12/9/2023

Order Folder 23-24/Soni/HMS